एसाइड स्कीम के प्रचालन के संबंध में श्री आर.गोपालन, अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 अगस्त, 2009 को राज्य सरकारों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची अनुबंध में दी गई है ।

2. प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री आर. गोपालन, अपर सचिव ने उन राज्यों के प्रयासों की सराहना की जिनका परियोजनाओं के पूरा होने, निधि के व्यय की गति, एस एल ई पी ए बैठकों के आयोजन तथा वाणिज्य विभाग के पत्रों का शीघ्र उत्तर देने संबंधी मापदण्डों के संबंध में प्रचालन अच्छा रहा था । उन्होंने उन राज्यों का ध्यान आकर्षित किया जो अन्य राज्यों की तुलना में उपर्युक्त मापदण्डों पर पीछे थे । उन्होंने ऐसे राज्यों से अपने निष्पादन में सुधार लाने का अनुरोध किया ताकि वे एसाइड जैसी प्रोत्साहन स्कीमों के रूप में भारत सरकार के पास उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकें जिससे उन राज्यों को उस निधि के लाभ प्राप्त हो सकें । उन्होंने बड़ी संख्या में अपूर्ण परियोजनाओं तथा एस एल ई पी सी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित न किए जाने पर गहन चिंता व्यक्त की । उन्होंने जानना चाहा कि क्यों राज्यों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार एस एल ई पी सी की बैठकें आयोजित नहीं की जा रही हैं । उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के पास और भी कई जरूरी मुद्दे हैं परन्तु ऐसा नहीं है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार भी एस एल ई पी सी की बैठक आयोजित नहीं कर सकते । उन्होंने प्रतिनिधियों को राज्य के लाभार्थ निर्यात वृद्धि/अवसंरचना की उपलब्धता हेतु परियोजनाओं के महत्व का उल्लेख करते हुए उपयुक्त तरीके से मामले को मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने की सलाह दी ताकि उनकी सुविधा सुनिश्चित की जा सके । उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि मुख्य सचिव व्यस्त हों तो प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में एस एल ई पी सी की बैठक आयोजित करने की संभावना का पता लगाया जाए और फाइल पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जाए । उन्होंने राज्यों को चेतावनी दी कि यदि वे एस एल ई पी सी की नियमित बैठक के संबंध में अपने निष्पादन में सुधार नहीं करते हैं तो वाणिज्य विभाग द्वारा ऐसे राज्यों के आवंटन में से सांकेतिक राशि काटने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उस राशि का उपयोग उन राज्यों की परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा जिनका निष्पादन उत्कृष्ट है ।

3. श्री नीरज कुमार, गुप्ता, संयुक्त सचिव ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में उनके निष्पादन का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया । उन्होंने प्रस्तुत किए जाने के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति, वाणिज्य विभाग के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के सत्यापन, ऐसी परियोजनाओं की लागत निर्धारण से अधिक होने जिन्हें पूरा होने में सामान्य पूर्णता अवधि से अधिक समय लग रहा है, एसाइड स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी निधि पर उनके द्वारा अर्जित संचयी ब्याज, एस एल ई पी सी बैठकों की बारंबारता, अपूर्ण सी आई बी परियोजनाओं की स्थिति और चालू एवं अगले दो वित्त वर्षों के दौरान राज्यों को निधि की आवश्यकता की भी समीक्षा की । उनके निर्देश पर वेब समर्थित निगरानी प्रणाली (डब्ल्यू ई एम एस) पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया तथ्य पत्र कार्यवाही को अधिक वार्ता-उन्मुखी एवं परिणामोन्मुखी बनाने

के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि को वितरित किया गया । कई प्रतिनिधियों ने एस एल ई पी सी बैठकों और विभाग के नामितियों द्वारा वास्तव में सत्यापित परियोजनाओं की संख्या के बारे में सूचना पर आपत्ति प्रकट की थी । उन्हें सूचित किया गया था कि तथ्य पत्र राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यू ई एम एस पर की गई प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया गया था और उसमें दी गई गलत सूचना उनके द्वारा वेबसाइट पर अद्यतन सूचना न डाले जाने के कारण थी । अतः उन्हें नियमित अंतराल पर डब्ल्यू ई एम एस की जाँच करनी चाहिए और सुधारात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, करनी चाहिए ताकि विभाग को सही स्थिति का पता चल सके । वास्तव में सत्यापित परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों के बारे में राज्यों से उन अधिकारियों के ब्यौरे प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था जिन्होंने परियोजनाओं का निरीक्षण किया था ताकि सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए विभाग से कहा जा सके ।

4. प्रत्येक मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित के लिए कार्यान्वयन पर सहमति दी गई थीः-

(क) <u>परियोजनाओं की वास्तविक प्रगतिः</u>

राज्यों द्वारा अनुमोदित 1038 परियोजनाओं में से केवल 538 परियोजनाएँ पूरी हैं और शेष 398 परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं । इन 398 परियोजनाओं में से 231 परियोजनाओं में 3 वर्षों की पूर्णता अवधि से अधिक समय लग रहा है अर्थात उन्हें 2006-07 या उससे पूर्व मंजूरी दी गई है । वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित अन्य 80 परियोजनाएँ भी कार्यान्वयनाधीन हैं ।

राज्यों को समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने एवं उन्हें पूरा करने को वरीयता देनी चाहिए ताकि वर्ष 2006-07 तक संस्वीकृत परियोजनाएँ इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी हो सकें और वर्ष 2007-08 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाएँ वर्ष 2010-11 तक पूरी हो सकें । वाणिज्य विभाग की ओर से किसी बाधा की जानकारी हमें दी जाए ।

(कार्यवाहीः सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र)

(ख) <u>परियोजनाओं की वित्तीय प्रगतिः</u>

राज्यों को अब तक 2539 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं । संचयी व्यय 2045 करोड़ रूपए है जबकि कुछ राज्यों ने व्यय की अच्छी गति दर्शाई है अर्थात 75 प्रतिशत से अधिक । अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पांडिचेरी, पंजाब, त्रिपुरा जैसे राज्यों का निष्पादन उल्लिखित बेंचमार्क से बहुत कम है । हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने 90 प्रतिशत से अधिक व्यय करके अनुकरणीय वित्तीय प्रगति दर्शाई है । पीछे चल रहे राज्यों को व्यय की गति में सुधार करना चाहिए ।

(कार्यवाहीः अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पांडिचेरी, पंजाब, त्रिपुरा राज्य)

(ग) **एस एल ई पी सी बैठकः**

आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पॉंडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने वर्ष 2009-10 के दौरान या तो एस एल ई पी सी की बैठक आयोजित नहीं की अथवा उसके बारे में सूचना वेबसाइट पर नहीं डाली है । इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि एस एल ई पी सी की बैठक 15 सितम्बर, 2009 तक आयोजित की जा सके ।

(कार्यवाहीः आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पॉंडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल)

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्यात संवर्धन संगठनों/समिति बोर्डों, संबंधित एस ई जेड के विकास आयुक्त तथा संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार को शामिल करने के बाद कार्यसूची पहले ही तैयार करनी चाहिए और उसे अधिमानतः एस एल ई पी सी की बैठक के 15 दिन पूर्व वाणिज्य विभाग सहित सभी सदस्यों को प्रेषित करना चाहिए ।

(कार्यवाहीः सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(घ) **अर्जित ब्याजः**

यह स्पष्ट किया गया था कि एसाइड निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना पूंजी शीर्ष के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, अतः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्यों द्वारा वाणिज्य विभाग को एसाइड निधि पर अर्जित ब्याज का एक अलग लेखा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । तथापि यह पाया गया है कि त्रिपुरा के अतिरिक्त किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके द्वारा अर्जित ब्याज का संचयी लेखा तत्काल प्रस्तुत करना चाहिए ।

(कार्यवाहीः त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(ड.) **अपूर्ण सी आई बी परियोजनाएँ :**

मार्च, 2002 से एसाइड स्कीम के अंतर्गत सी आई बी स्कीम सम्मिलित की गई है । यह पाया गया है कि 46 परियोजनाएँ अभी भी कार्यान्वयनाधीन हैं या राज्यों द्वारा उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी अद्यतन नहीं की गई है । आंध्र प्रदेश (1), असम (3), बिहार (7), गुजरात (1), हरियाणा (2), जम्मू एवं कश्मीर (2), झारखंड (1), कर्नाटक (1), केरल (1), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (3), मिजोरम (1), पंजाब (2), राजस्थान (3), तमिलनाडु (3), त्रिपुरा (2), उत्तर प्रदेश (3), उत्तरांचल (1), पश्चिम बंगाल (3) को राज्य प्रकोष्ठ प्रभाग को ई-मेल से वर्तमान स्थिति के बारे में तत्काल सूचना देनी चाहिए, ऐसा न किए जाने पर कटौती की संभावना पर विचार किया जाएगा ।

(कार्यवाहीः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल)

(च) **उपयोगिता प्रमाण पत्र**

अरूणाचल प्रदेश (2006-07, 2007-08), असम (2007-08), बिहार (2002-03 यू सी प्रपत्र में नहीं है), छत्तीसगढ़ (2007-08), दादर एवं नगर हवेली (2002-03), दमन एवं दीव (2002-03), दिल्ली (2007-08), गुजरात (2007-08), झारखंड (2007-08), लक्षद्वीप (2002-03 एवं 2003-04), मणिपुर (2007-08), मेघालय (2007-08), उत्तर प्रदेश (2007-08) को तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(कार्यवाहीः अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश)

(छ) **परियोजनाओं का सत्यापनः**

विभाग ने वर्ष 2007-08 या उसके बाद अनुमोदित सभी परियोजनाओं को संबंधित संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या सभी एस ई जेडों के विकास आयुक्तों से सत्यापित कराए जाने का निर्णय लिया है, तथापि आंध्र प्रदेश (5/12), अंडमान एवं निकोबार (0/1), अरूणाचल प्रदेश (0/8), असम (0/15), बिहार (शून्य), चंडीगढ़ (0/1), छत्तीसगढ़ (0/7), दादर एवं नगर हवेली (0/1), दमन एवं दीव (0/2), दिल्ली (शून्य), गोवा (0/11), गुजरात (0/11), हरियाणा (3/5), हिमाचल प्रदेश (12/15), जम्मू एवं कश्मीर (शून्य), झारखंड (शून्य), कर्नाटक (0/30), केरल (0/15), लक्षद्वीप (शून्य), मिजोरम (0/2), मणिपुर (शून्य), नागालैंड (0/15), महाराष्ट्र (0/3), मध्य प्रदेश (4/16), नागालैंड (4/8), उड़ीसा (0/7), पांडिचेरी (शून्य), पंजाब (7/10), राजस्थान (1/10), सिक्किम

(0/6), तमिलनाडु (16/54), त्रिपुरा (0/3), उत्तर प्रदेश (2/9), उत्तरांचल (शून्य), पश्चिम बंगाल (0/13) बहुत पीछे चल रहे हैं ।

नोडल एजेंसियों/राज्य सरकारों को संबंधित विकास आयुक्त/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार से अपनी परियोजनाओं के वास्तविक सत्यापन का अनुरोध करते हुए सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सी ए जी/पी ए सी से की गई वचनबद्धता को पूरा किया जा सके । इस कार्य के लिए समयावधि 15 सितम्बर, 2009 तक रखी जाए ।

(कार्यवाहीः आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड), उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल)

(ज) <u>निर्धारित से अधिक लागत</u>

सी ए जी द्वारा यह पाया गया है कि कई परियोजनाओं में पूर्णता अवधि से अधिक समय लगा है जिसका परिणाम निर्धारित से अधिक लागत के रूप में हुआ है । ऐसी परियोजनाओं की सूची एसाइड स्कीम के निष्पादन की लेखापरीक्षा संबंधी सी ए जी की 2007 की रिपोर्ट सं0 18 के अनुबंध 18 में दी गई है । राज्यों द्वारा इन परियोजनाओं में हुए विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण यदि पहले ही नहीं भेजा चुका है तो विभाग को भेजा जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जब तक किसी असाधारण परिस्थिति के कारण परियोजना की प्रगति में बाधा न पड़े, 2 वर्ष की सामान्य पूर्णता अवधि में परियोजनाएँ पूरी हो जाएँ । अनुचित विलम्ब के कारण लागत से अधिक व्यय को एसाइड स्कीम से वहन नहीं किया जाना चाहिए ।

(कार्यवाहीः सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

<u>बिहार के संबंध में बकाया लेखापरीक्षा पैरा</u>

बिहार सरकार को त्रुटिवश निर्गम के संबंध में एक बकाया लेखापरीक्षा पैरा वाणिज्य विभाग के पास अनुपालन हेतु लंबित है । बिहार सरकार से 1.40 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति हेतु कई पत्र भेजे गए हैं, तथापि उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है । बिहार सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में शीघ्रता की जानी चाहिए । अन्यथा मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा ।

(कार्यवाहीः बिहार)

चालू तथा अगले दो वित्त वर्षों के दौरान राज्यों को निधि की आवश्यकता

राज्यों द्वारा आकलन किया जाना चाहिए कि चालू वित्त वर्ष तथा आगामी दो वित्त वर्षों के दौरान चालू परियोजनाओं और भावी परियोजनाओं के रूप में रखी गई नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें कितनी निधि की आवश्यकता होगी और उसे अगलग 15 दिनों में पूर्ण औचित्य के साथ भेजना चाहिए ताकि उसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया जा सके ।

(कार्यवाहीः सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

5. चर्चा का समापन करते हुए श्री अनिल बाम्बा, निदेशक, वाणिज्य विभाग ने बैठक में भाग लेने के लिए अपर सचिव (आर जी), संयुक्त सचिव (एन के जी) और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में अपना उत्तर 15.09.2009 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वाणिज्य विभाग को प्रेषित उत्तर की प्रति अनिवार्य रूप से ई-मेल dinesh.verma@nic.in पर भी भेजी जाए ।

अनुबंध

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	श्री आर गोपालन	अपर सचिव - अध्यक्ष	
2.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	संयुक्त सचिव	
3.	श्री ए के बाम्बा	निदेशक, वाणिज्य विभाग	
4.	श्री डी के वर्मा	अवर सचिव, वाणिज्य विभाग	
5.	सुश्री अनीता प्रवीण	मुख्य महाप्रबंधक, टिडको, तमिलनाडु	
6.	श्री पी वी रमेश	आयुक्त (उद्योग), आंध्र प्रदेश	0986651230 040-23441666
7.	श्री डी मुरलीधर रेड्डी	ई डी, ए पी आई डी सी, आंध्र प्रदेश	09948556604 040-23233251
8.	श्री एच एस चौधरी	डिप्टी आर सी, हिमाचल प्रदेश	9711715635
9.	श्री आर के गडी	हिमाचल प्रदेश	9418112797
10.	श्री डी के भल्ला	आर सी, नागालैंड	971102883
11.	श्री ए डी नाईक	सी जी एम, जी आई डी सी, गोवा	
12.	श्री ए वी पालेकर	एम डी, जी आई डी सी, गोवा	
13.	श्री एच आर माराह	मेघालय	23015605
14.	श्री पी रमेश कुमार	सचिव (उद्योग), छत्तीसगढ़	
15.	श्री आर के गोवर्धन	एम डी, सी एस आई डी सी, छत्तीसगढ़	
16.	श्री ध्रुव धर	सी एस आई डी सी, रायपुर	9868901076
17.	श्री आर के सोनी	सी एस आई डी सी, रायपुर	
18.	श्री राजकुमार खत्री	आयुक्त (उद्योग), कर्नाटक	
19.	श्री एच वी रघुराम	प्रबंध निदेशक, वी आई टी सी, कर्नाटक	

20.	श्री एन के सिंह	अपर आर सी, गुजरात	9953710023
21.	श्री एस रामनाथ	एम डी, किन्फ्रा, केरल	09847718002
22.	श्री ए के जैन	विशेष आयुक्त, मध्य प्रदेश	9899313027
23.	श्री डी एस चतुर्वेदी	एस पी एस आई डी सी	26568019
24.	श्री एस महालिंगम	ई ई, पी आई पी डी आई सी, पांडिचेरी	0943190229
25.	श्री वी जी जेनेर	एम एम डी, टी आई डी सी, त्रिपुरा	09436135005
26.	श्री मनोहर कांत	आयुक्त (उद्योग), राजस्थान	09414180113
27.	सुश्री मालिनी वी शंकर	विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र	9821848000
28.	श्री पी दाश	अपर सचिव, उड़ीसा सरकार	09861071343
29.	श्री जी डी पांडा	उप निदेशक, आई डी सी ओ, उड़ीसा	09437500547
30.	श्री विनीत के वर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, चंडीगढ़	9463400064 0172-2740005
31.	श्री एस बावा	पी एस आई ई सी, पंजाब	0172-2702401
32.	श्री पी के बंसल	अपर निदेशक (उद्योग एवं वाणिज्य), हरियाणा सरकार	0980032279
33.	श्री एच के शर्मा	एम डी, ए आई डी सी, असम	0361-2200399
34.	श्री अमिताव सइका	डी एम, ए आई डी सी, असम	0361-2200399
35.	श्री भास्कर खुल्बे	सलाहकार (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार	9873869089
36.	श्री जीवन चक्रवर्ती	पश्चिम बंगाल सरकार	9830164536
37.	सुश्री अराधना पटनायक	निदेशक (उद्योग), झारखंड	9431100988
38.	श्री बी एम लाल	उप निदेशक, झारखंड	0651-2491884
39.	श्री एस कपूर	सी आई ओ, डी एस आई आई डी सी,	23730261

		दिल्ली	
40.	श्री सी लालजिलियाना	मिजोरम	0389-2335386
41.	श्री आर लालथान्मनिया	मिजोरम	0389-2314950
42.	श्री मरोया ई टी ई	लक्षद्वीप	09447782988
43.	श्री बी एस दुआ	निदेशक (उद्योग एवं वाणिज्य), जम्मू एवं कश्मीर	9419199888
44.	श्री एस आर कैसर	जी एम, जम्मू एवं कश्मीर	9419014902
45.	श्रीमती सुनैना भट	वरिष्ठ प्रबंधक, जम्मू एवं कश्मीर	9810106355

सं0 20/02/2009-एस सी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 6 अगस्त, 2009

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग) (संलग्न सूची के अनुसार)
एसाइड स्कीम के सभी नोडल अभिकरण (संलग्न सूची के अनुसार)

विषयः एसाइड स्कीम की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

मुझे श्री आर. गोपालन, अपर सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 4 अगस्त, 2009 को कमरा सं0 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित एसाइड स्कीम की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त अनुपालनार्थ अग्रेषित करने और आपसे दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करने का निदेश हुआ है ।

भवदीय

हस्ता/-

(डी के वर्मा)
अवर सचिव
दूरभाषः 23063311
ई-मेलः dinesh.verma@nic.in

प्रतिलिपिः-

अ.स. (आर जी) के प्रधान निजी सचिव/सं.स. (एन के जी) के निजी सचिव/निदेशक (ए के बी)/निदेशक (वी डी ए)